

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय,
महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर- 273012

सं० का /254/ कार्मिक/20%LDCE/ मुककनि/VIII/ भाग-2

दिनांक 30.01.2025

मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक,
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी,
इज्जतनगर एवं लखनऊ।

विषय:- मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल-07 श्रेणी के अंतर्गत 20% एलडीसीई कोटा की रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई एवं तीनों मंडलों के अधीन विषयक श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पदों को चयन (लिखित परीक्षा एवं पेपर स्क्रीनिंग) के माध्यम से समेकित रूप से भरने हेतु निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं ई (एनजी)I-2002 /पीएम-4 /1 दिनांक 12.07.2002 एवं रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एनजी)I / 2005 /पी.एम.I/20 दिनांक 17.06.2005 में त्रिहित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अर्हता को पूर्ण करने वाले कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं :-

1	रिक्त पदों की संख्या	06 (सामान्य) जिसमें से दो रिक्ति PwBD {Dwarfism (DW) and Acid Attack victim (AAV)} श्रेणी हेतु आरक्षित होगी।
2	वेतनमान	लेवल-7
3	पात्रता की शर्तें	<div>i</div> <div>ii</div> <div>iii</div>
4	चयन की प्रक्रिया	चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख के आधार पर किया जाएगा। कर्मचारी को एसपीई /सतर्कता / डीएआर एवं 3-RP(UP) एक्ट मामलों से मुक्त होना चाहिए।
5	वेतन निर्धारण	वेतन निर्धारण मौजूदा नियम के अनुसार किया जाएगा।
6	अन्य शर्तें	<div>i</div> <div>ii</div>

क्रमश:-2

36.01.2025

		iii	आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्वोच्च जोकि कर्मचारी कल्याण निरीक्षक के पद पर चयन के नियम और शर्तें /जामू अन्य शर्तों के संबंध में, हाजाकि इस अधिसूचना में अनजाने में छूट गए हो, उन्हें वैध और सक्रिय माना जायेगा।
		iv	ओएमआर शीट पर किसी भी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। कटिंग एवं ओवर राइटिंग किये गए प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
		v	अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण तथा सम्बंधित नियंत्रक अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों एवं आवेदन की अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।
		vi	कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अन्य समय की सूचना पर लिखित परीक्षा करायी जा सकती है।
		vii	उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी।
		viii	परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
		ix	उत्तीर्ण / सुयोग्य अभ्यर्थियों को पदोन्नति से पूर्व 21 दिवस का पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा।
		x	चयनित कर्मचारी को प्रशासनिक हित में पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी मंडल या मुख्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।
7	इकाईयों द्वारा आवेदन कैसे करें और आवेदन कैसे अग्रसारित करें	i	इच्छुक उम्मीदवार संलग्न अनुबंधन के प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदक को पात्रता की शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरना चाहिए और अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से भरे हुए आवेदन पत्र को संलग्नक के साथ जमा करना चाहिए। अधूरा आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल-06 अलग-अलग इकाईयों में काम कर रहे हैं, वे अन्य इकाईयों में लियन रखते हुए अपना आवेदन अपने मूल लियन इकाई के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
		ii	आवेदक द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी के समक्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.02.2025 है, इसके बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
		iii	नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को मंडल/मुख्यालय से संबंधित कार्मिक अधिकारी के पास दिनांक 05.03.2025 तक अवश्य भेज दिया जाय।
		iv	संबंधित कार्मिक अधिकारी को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिए गए विवरण का सत्यापन उनके सेवा अभिलेखों में दर्ज विवरण के अनुसार करने के उपरान्त दिनांक 17.03.2025 तक या उससे पहले प्रमुकाधि कार्यालय / गोरखपुर को कवरिंग लेटर और समुचित विवरण (पात्र / अपात्र अलग से) सहित एक साथ भेजना सुनिश्चित करें।
		v	यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो दिनांक 17.03.2022 तक संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा प्रमुकाधि कार्यालय को "शून्य" रिपोर्ट भेजी जाए।
		vi	नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि आवेदक एवं पात्र कर्मचारियों के विगत तीन वर्षों का एपीएआर की सत्यापित छायाप्रति प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर में भेजना सुनिश्चित करें।
8	इस अधिसूचना का कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिसूचना की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाए। यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट https://ner.indianrailways.gov.in/ पर भी उपलब्ध है।		

संलग्नक/1.आवेदन का प्रारूप

2.परीक्षा का पाठ्यक्रम

सकाधि मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक

आवेदन का प्रारूप

फोटो

कार्मिक विभाग मुख्यालय इकाई एवं तीनो मंडलों के अधीन मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल-07 श्रेणी के अंतर्गत 20% LDCE कोटा के रिक्त पदों को चयन (लिखित परीक्षा एवं पेपर स्क्रीनिंग) के माध्यम से समेकित रूप से भरने हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 30.01.2025 के आलोक में आवेदन पत्र:-

1. नाम(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी).....
2. पिता/पति का नाम.....
3. समुदाय/जाति का नाम.....
(सामान्य/अजा/अजजा)
4. जन्म तिथि.....
5. नियुक्ति तिथि, पद एवं लेवल
6. कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल-06 में पदोन्नति/नियुक्ति तिथि
07. पदस्थापना स्थल
08. दिनांक 31.01.2025 को कुल नियमित सेवा वर्ष माह दिन
09. भविष्य निधि संख्या /एनपीएस
10. शैक्षणिक योग्यता.....
.....
(प्रमाण पत्र संलग्न)
11. स्थान जहाँ लियन का रख-रखाव है (यदि है तो).....
12. अन्य विवरण यदि है तो
14. मोबाइल संख्या

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक-

प्रार्थी

स्थान-

नाम -

पदनाम -

कार्यालय -

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित
(अधिकारी का मुहर)

30.01.25

पाठ्यक्रम

मुख्य कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक, लेवल-07 (20% एलडीसीई) के पद के लिए अनुलग्नक 'ए' पाठ्यक्रम

1. लेखन कौशल
2. आरएलटी पुरस्कार और रोजगार के घंटे नियम
3. रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां
(ए) कर्मचारी लाभ निधि
(बी) रेलवे पर स्कूल नीति
(सी) सांस्कृतिक गतिविधियां
(डी) मनोरंजन केंद्र और क्लब
(ई) हस्तशिल्प केंद्र
(एफ) कैटीन
(जी) सहकारी स्टोर/सोसाइटियां
(एच) खेल गतिविधियां
(आई) स्काउट्स एंड गाइड्स
(जे) हॉलिडे होम्स
4. अनुकंपा के आधार पर रोजगार
5. रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा जांच, चिकित्सा विवर्गीकरण और चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारियों का अवशोषण।
6. रेलवे कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम उपलब्ध।
7. जनशक्ति नियोजन
(ए) रिक्ति बैंक रजिस्टर
(बी) बेंच मार्किंग
(सी) पदों का निर्माण
(डी) अतिरिक्त पद
(ई) अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियोजन
8. वर्दी नीति
(ए) कर्मचारियों की पात्रता
(बी) वर्दी की आपूर्ति की आवश्यकता
(सी) वर्गीकरण में बदलाव की प्रक्रिया
9. वेतन और भत्ते
10. पास नियम
11. रेलवे पेंशन नियम
12. छुट्टी नियम
13. शिकायत निवारण मशीनरी
14. ट्रेड यूनियनों की मान्यता, स्थायी वार्ता मशीनरी, गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों से निपटना, मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को सुविधाएं।
15. सेवा की सामान्य शर्तें
16. आरईएलएचएस (RELHS)
17. श्रम कानून
18. सूचना का अधिकार अधिनियम

नोट: रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक ई(एनजी)1-98/पीएम1/7 दिनांक के पैरा 7(i)(v) के अनुसार 20.10.1999 आरबीई संख्या 272/1999 द्वारा प्रसारित, लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों का कम से कम 10% राजभाषा नीति पर होना चाहिए और नियम.

